न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./72/2012/जैसलमेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर। — बनाम 1.हुसैनखां पुत्र छतेखां मुसलमान निवासी मुन्दरडी हाल छत्रैल तहसील जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैसलमेर के वाद संख्या 03/2007 बनवान हुसैनखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2011 के विरूद्ध पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री एम.आर. बारूपाल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के हक में ग्राम मुन्दरडी के खसरा संख्या 6/228 रेस्पोडेंट/वादी की कब्जा काश्त होने व खातेदारी अधिकारी की उद्घोषणा के लिए रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अपनी साक्ष्य से हकदारी साबित नहीं किये जाने के उपरांत रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक आज्ञाप्ति जारी की गई। जबकि यह भूमि सरकारी है। से सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादी को दिनांक 03.07.1971 की भूमि अवंटन सलाहकार समिति में ग्राम मून्दरडी के समरी खसरा संख्या 1 में 57.10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा तहरीर कब्जा सुपुर्दगी जो रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें कब्जा सुपुर्दगी समरी खसरा संख्या 1 की इबारत के बाद सेटलमेंट के खसरा संख्या 6/228 बाद में जोड़ी गई है। प्रश्नगत कब्जा रिपोर्ट में कब्जे में दी गई भूमि की हदूद अंकित नहीं है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा जिस भूमि का आवेदन किया गया था उसमें केवल पूर्व में एक खेत व बाकी दिशाओं में पड़त का उल्लेख है और वादग्रस्त भूमि की बताई हदूद के अनुसार हदूद मेल नहीं खाती है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि समरी खसरा संख्या 1 का रकबा नियमित सेटलमेंट के खसरा संख्या 6/228 से मेल नहीं खाता है एवं न ही इस बात की कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है कि समरी खसरा संख्या 01 रकबा 57.10 बीघा वर्तमान बन्दोबश्त के खसरा संख्या 6/228 बना है। रेस्पोडेंट/वादी ग्राम छत्रैल का मूल निवासी है व उसे गांव मून्दरड़ी जो अन्य पटवार हल्के में होते हुए बिना हल्का पटवारी रूपसी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट के भूमि आवंटन प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट का ग्राम मून्दरडी के समरी खसरा सख्या 1 अथवा नियमित बन्दोबस्त के खसरा संख्या 6/228 में कभी कोई काश्त अथवा कब्जा अतिक्रमण के जरिये भी नहीं रहा है एवं न ही रेस्पोडेंट के हक में कभी इन्तकाल खोला जाकर लगान की कायमी हुई है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6/228 के कुल रकबा 74.15 बीघा में से 57.10 बीघा की रेस्पोडेंट/वादी को खातेदारी अधिकार देने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर समरी सैटलमेंट अथवा आंवटन के वक्त से कब्जा नहीं हैं न गिरदावरी का ऐसा रेकर्ड पेश हुआ हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। रेस्पोडेंट/वादी को दिनांक 03.07.1971 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति में ग्राम मून्दरडी के समरी खसरा संख्या 1 में 57.10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा तहरीर कब्जा सुपुर्दगी जो रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें कब्जा सुपुर्दगी समरी खसरा संख्या 1 की इबारत के बाद सेटलमेंट के खसरा संख्या 6/228 बाद में जोड़ी गई है। प्रश्नगत कब्जा रिपोर्ट में कब्जे में दी गई भूमि की हदूद अंकित नहीं है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा जिस भूमि का आवेदन किया गया था उसमें केवल पूर्व में एक खेत व बाकी दिशाओं में पड़त का उल्लेख है और वादग्रस्त भूमि की बताई हदूद के अनुसार हदूद मेल नहीं खाती है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि समरी खसरा संख्या का रकबा नियमित सेटलमेंट के खसरा संख्या 6/228 से मेल नहीं खाता है एवं न ही इस बात की कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है कि समरी खसरा संख्या 01 रकबा 57.10 बीघा वर्तमान बन्दोबश्त के खसरा संख्या 6/228 बना है। रेस्पोडेंट/वादी ग्राम छत्रैल का मूल निवासी है व उसे गांव मून्दरड़ी जो अन्य पटवार हल्के में होते हुए बिना हल्का पटवारी रूपसी की रिपोर्ट के भूमि आवंटन प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट का ग्राम मून्दरडी के समरी खसरा सख्या 1 अथवा नियमित बन्दोबस्त के खसरा संख्या 6/228 में कभी कोई काश्त अथवा कब्जा अतिक्रमण के जरिये भी नहीं रहा है एवं न ही रेस्पोडेंट के हक में कभी इन्तकाल खोला जाकर लगान की कायमी हुई है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6/228 के कुल रकबा 74.15 बीघा में से 57.10 बीघा की रेस्पोडेंट/वादी को खातेदारी अधिकार देने का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आधार एवं औचित्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर समरी सैटलमेंट अथवा आंवटन के वक्त से कब्जा नहीं है न गिरदावरी का ऐसा रेकर्ड पेश हुआ है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वर्ष 1972 में वादी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.07.1972 को ग्राम मुन्दरडी के सिवायचक खसरा संख्या 01 में 57.10 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसका आवंटन आदेश उपजिलाधीन जैसलमेर के क्रमांक 677–680 दिनांक 04.07.1972 को जारी किया गया। पटवारी भू द्वारा सनद फीस रेस्पोडेंट से जमा कर आवंटित भूमि के समय 57.10 बीघा भूमि का कब्जा रूबरू मौतबिरान सुपुर्द किया गया। स्थाई बन्दोबस्त में रेस्पोडेंट/वादी को आवंटित कृषि भूमि खसरा संख्या 01 रकबा 57.10 बीघा को खातेदारी दर्ज नहीं करके सिवायचक दर्ज की गई। खसरा गिरदावरी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेंट ने विघोड़ी राजकोष में जमा करवाई। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट ने अपने आवासीय कच्चा मकान, पानी का टांका बनाया कर सपरिवार निवास कर रहा है। वादग्रस्त रकबा 57.10 बीघा भूमि दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री की नकले अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट/अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रेस्पोडेंट हुसैन पुत्र छतेखां को मुदरबी के समरी खसरा संख्या 01 में 57.10 बीघा भूमि आवंटन हुआ और उसे खसरा संख्या 6/228 में 57.10 बीघा भूमि का कब्जा दिया गया परन्तु स्थाई बंदोबस्त में उसके कब्जेशुदा खसरा संख्या 6/228 संबंधी कोई इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आवंटन के आधार पर निर्णय दिया है पर उसका आवंटन पश्चात खसरा संख्या 6/228 रकबा 57.10 बीघा भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त एवं आवंटन के नियमों की आवंटी द्वारा पूर्ण पालना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है। इस आवंटन आदेश को एक अन्य प्रकरण संख्या अपील/75/एल.आर.एक्ट/18/2012/जैसलमेर बअनवान वली मोहम्मद बनाम हुसैनखां में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.02.2014 द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में होना वकील रेस्पोडेंट ने बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी के नियमित वाद अंतर्गत धारा 88 के संबंध में वादग्रस्त भूमि पर उसका रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रतिकूल कब्जा अनवरत व पूर्णतया साबित नहीं है। इसलिए वादी/रेस्पोडेंट का वाद खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा वाद संख्या 03/2007 बनवान हुसैनखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2011 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner